न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/81/2018 तारीख रजु 01.08.2018

उनवान

रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवसी ठण्डी का पुरा कटकड तहसील हिण्डोन जिला करौली।

———————वादीगण(04)

बनाम

हरी पुत्र छोटया जाति मीना वगैरह निवासी ठण्डी का पुरा कटकड तहसील हिण्डोन जिला करौली।

————प्रतिवादीगण (07)

उपस्थितिः—

वादीगण की ओर से :— श्री शांति स्वरूप शर्मा एडवोकेट।
प्रतिवादीगण की ओर से :—कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 13.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम ठण्डी का पुरा कटकड तहसील तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 733, 734, 744, 745, 754, 755, 765, 884, 943, 946, 951, 953, 957, 967, 971, 973, 976, 977, 2129, 2130, 2131, 2132, के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार—बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है ।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 81/2018 रामस्वरूप बनाम हरी अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.07 18:15:04 IST
Reason: SelfAttested